

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा, तहसील
नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 783 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 84 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "जगुराम पुत्र मूलाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "जगदीश प्रसाद पुत्र गणपतराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद
बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत
राजवीर सिंह यादव
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 787/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1516


आदेश

दिनांक - 3/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 84 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "जगुराम पुत्र गणपत" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "जगदीश प्रसाद पुत्र गणपतराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)